न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 40/2019
जी सी एम एस नम्बर :– 2019/00150

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भगतसिंह पुत्र केशुलाल जाति कलाल निवासी सिरीयारी तहसील मा0ज0		तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.05.22

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मा0ज0 के प्रकरण संख्या 384/2019 बअनवान सरकार बनाम भगतसिंह में तहसीलदार मा0ज0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिरियारी में अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.7714 है. स्थित है जिसके आस–पास खसरा नम्बर 1226 व 1227 की सिवायचक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को एक नोटिस दिनांक 20.05.2019 को दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम सिरियारी के खसरा नम्बर 1226,1227,1224 रकबा 0.2638 है. सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके संबध मे अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट का कब्जा खसरा नम्बर 1225 पर है जो कि उसकी खातेदारी कृषि भूमि है जिसका सीमांकन करवाकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। राजनैतिक द्वैषतावश झुठी एवं गलत टीपी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है प्रार्थी ने निवेदन किया कि अगर भूलवश अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भुमि के अलावा अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो स्वंय अपना अतिक्रमण हटा देगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर मेरे प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे कही भी यह स्पष्ट नही है कि अपीलाण्ट ने कौनसे खसरे में कितने क्षैत्रफल पर कब्जा कर रखा है, अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1225 का सिमांकन करवाकर चारदिवारी का निर्माण कार्य करवाया गया है, न्यायालय चाहे तो अपने स्तर पर सीमाज्ञान व मौके का नाप–चौप करवा सकता है, अगर मेरे द्वारा अपनी खातेदारी भुमि के अलावा अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो मैं स्वयं अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा दुगां, जिसके सन्दर्भ में अपनी अण्डरटेंकिग देता हुं। अपीलार्थी दिनांक 31.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ वहां पर खाली आर्डरशीट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाकर बताया की उक्त विवादित भुमि का पुनः सीमाज्ञान करवा कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, लेकिन न्यायालय द्वारा 11.06.2019 को ऑर्डरशीट लिख कर अपीलार्थी की अनुपस्थिति लिख दी। अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी 21.08.2019 को हुई तब अपीलार्थी को पता चला की उक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट के खातेदारी भूमि पर हो रखे निर्माण कार्य को पुलिस जाब्ता मांग कर अधीनस्थ न्यायालय तौडने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मे राजनैतिक द्वैषतावश जानबुझकर अपीलाण्ट को धोखे में रखकर सीमाज्ञान हेतु टीम गठित किये बिना अपीलार्थी को उपस्थित बता कर कब्जा काश्त करना स्वीकार लिखा है एवं दुसरी तरफ अपीलार्थी को अनुपस्थित बता कर एकतरफा आदेश पारित कर दिया। दोनो तथ्य विरोधाभाषी है, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबुझकर अपीलार्थी को गुमराह कर अनुपस्थिति दर्ज करते हुए बिना साक्ष्य सबुत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो गैर वाज़िब है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 1226,1227,1224 रकबा 0.2638 हैक्टेयर किस्म बा.दो, गै.मु.वाली की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किया गया है, चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने एवं मौके पर पक्की दिवार एंव दुकान का निर्माण करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रेषित संयुक्त सीमांकन मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है ग्राम सिरियारी में अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.7714 हैक्टेयर स्थित है जिसके आस–पास खसरा नम्बर 1226 व 1227 की सिवायचक भूमि स्थित है। अपीलाण्ट द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया गया है वह अपनी खातेदारी भूमि पर ही करवाया है ना कि सरकारी भूमि पर। अपीलाण्ट ने इसके संबध में अपनी ओर से अण्डरटेंकिग भी दे रखी है। साथ ही अपीलाण्ट का कब्जा खसरा नम्बर 1225 पर है जो कि उसकी खातेदारी भूमि है। प्रकरण में वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है। इन तथ्यों की ताईद संयुक्त सीमाकंन मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.06.2020 से होती है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट भगतसिंह द्वारा जो निर्माण कार्य करवा रखा है वह उसकी स्वंय की खातेदारी भूमि है, जिसके खसरा नम्बर 1225 है। अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 1226 व 1227 में किसी प्रकार का कब्जा नही है, इसलिये अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपीलं अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 384/2019 सरकार बनाम भगतसिंह में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली